संख्याः-653/एक-10-2023-33(3)/2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 17 मई, 2023

विषयः- राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र के संचालन/वेवसाइट डेवलपमेंट एवं संचालन तथा टेलीफोन व सी0यू0जी0 विलों के भुगतान हेतु धनावंटन के सम्वन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4115/रा0आ0का0/कन्ट्रोलरूम संचा0पत्रा0/2023-24, दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र के सुदृणीकरण व सुगम संचालन, राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट के डेवलपमेंट एवं संचालन, तथा टेलीफोन नम्बरों एवं सी0यू0जी नम्बरों के बिलों के भुगतान पर होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु रू0 3,74,42,680/- (रू0 तीन करोड़ चौहत्तर लाख बयालीस हजार छः सौ अस्सी मात्र) की धनराशि निम्न विवरण /शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अ- राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र हेतु

क्र0सं0	व्यय किये जाने वाले मद/ कार्य का विवरण	आधार पर होने वाला अनुमानित व्यय (रू0 में)
1	इन्टरनेट नेटवर्क के लिए लीज लाइन।	1,50,000/-
2	10 टेलीवीजन सेट हेतु डी0टी0एच0 सेवा	36,000/-
3	वीडियो कान्फ्रेन्सिंग करने हेतु साफटवेयर/जूम ऐप की सेवा	85,000/-
4	कन्ट्रोलरूम हेतु आवश्यक उपकरण यथा कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर, फोटोकापियर आदि तथा इनके संचालन व अनुरक्षण पर होने वाला व्यय।	5,00,000/-
5	टोलफ्री नं0 1070 पर 24X7 संचालित कॉल सेन्टर एवं राहत आयुक्त कार्यालय व कन्ट्रोल रूम द्वारा किये जा रहे कार्यो व जन जागरूकता कार्यक्रम का सोशल मीडिया साइट्स पर प्रचार प्रसार किये जाने हेतु सोशल मीडिया सेल के संचालन पर होने वाला व्यय।	1,00,00,000/-
6	राहत हेल्पलाइन नं0 1070 का पुलिस हेल्पलाइन नं0 112 के साथ इण्टीग्रेशन हेतु आवश्यक धनराशि	25,00,000/-
	कुल धनराशि	1,32,71,000/-

ब- राहत आयुक्त कार्यालय के वेबासाइट डेवलपमेंट एवं संचालन हेतु

क्र0सं0	व्यय किये जाने वाले मद/कार्य का विवरण	आधार पर होने वाला अनुमानित व्यय (रू0 में)
1	एस0एस0एल0 सर्टीफिकेट।	15,000/-
2	राहत पोर्टल के माध्यम से नागरिकों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर एस0एम0एस0 एलर्ट भेजने हेतु एस0एम0एस0 सर्विस।	2,00,000/-
3	राहत पोर्टल के विभिन्न माड्यूल में नागरिकों के आधार व फैमिली आई0डी0 ऑथेन्टिकेशन हेतु श्रीट्रान इण्डिया लि0 को किया जाने वाला भुगतान।	30,00,000/-

4	राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट के अपग्रेडेशन हेतु पूर्व स्वीकृत प्रोजेक्ट प्रोपोजल के अनुरूप एन0आई0सी0 को किये जाने वाले भुगतान हेतु धनराशि।	90,00,000/-
	कुल धनराशि	1,22,15,000/-

स- राज्य स्तरीय ई0ओ0सी0 के सुदृढीकरण हेतु भारत संचार निगम लि0 के 945441 एवं 945444 सीरीज के सी0यू0जी0 नम्बर एवं 0522-2235121 पर टोल-फ्री नम्बर 1070 तथा 0522-2217721 पर संचालित पी0आर0आई0 लाइन के भुगतान हेतु –

क्र0सं0	टेलीफोन न0	भुगतान की जाने वाली धनराशि रूपये। (लगभग)	माह अप्रैल, 2023 से माह मार्च, 2024 (कुल 12 माह) तक की अनुमानित धनराशि रू0 में।
1	0522-2235121	390/-	4,680/-
2	0522-2217721	16,000/-	1,92,000/-
3	1801-180-5222 (सी0यू0जी)	9,80,000/-	1,17,60,000/-
		कुल धनराशि	1,19,56,680/-

(रू0 1,32,71,000/- + 1,22,15,000/- + 1,19,56,680/-) कुल रू0 3,74,42,680/-
(रू0 तीन करोड़ चौहत्तर लाख बयालीस हजार छ: सौ अस्सी मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संवंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलवब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रू0 3,74,42,680/- (रू0 तीन करोड़ चौहत्तर लाख बयालीस हजार छ: सौ अस्सी मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-653(1)/एक-10-2023-33(3)/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- स्टाफ आफिसर , मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।

3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

(मेनागीर्ष 11) एसबी आरएफ. मे सामान्य व्यय प्रत्यावेदन 2019-20 #107

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-18/05/2023

प्रेषण संख्या:- 653
आवंटन आदेश संख्या:- 001-653
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान	37442680	37442680
		प्रगामी	37442680	37442680
	योग	वर्तमान	37442680	37442680
		प्रगामी	37442680	37442680

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ चौहत्तर लाख बयालीस हजार छ: सौ अस्सी
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ चौहत्तर लाख बयालीस हजार छ: सौ अस्सी

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by akhilesh pratap singh
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2023.05.18 11:59:32 +05:30